मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

डीजी परिपत्र संख्या- 40 दिनॉकःनवम्बर 23 , 2017

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उ0प्र0 ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभागीय पत्राचार की प्रति विभिन्न कार्यालयों को पृष्ठॉकित कर दी जाती है जिसका कोई सन्दर्भ उस कार्यालय से नहीं होता है और न ही किसी ऐसी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध होता है। आप सहमत होंगे कि इस प्रकार का पत्राचार अनावश्यक कार्य को बढ़ाता है, साथ ही साथ धन का अपव्यय भी होता है एवं बहुमूल्य संसाधन कागज आदि की बर्बादी भी होती है ।

2. किसी भी पत्राचार की प्रति किसी भी अन्य कार्यालय को तभी पृष्ठॉकित की जानी चाहिये जब उस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो या वहॉ से पत्राचार की प्रति मॉगी गयी हो। इसके अतिरिक्त पत्राचार का कोई औचित्य नहीं है ।

3. अतः कृपया भविष्य में शासकीय पत्राचार की प्रति तभी पृष्ठॉकित की जाये जब :-

(क) किसी भी कार्यालय के द्वारा प्रति की अपेक्षा की गयी हो

(ख) उस कार्यालय से किसी कार्यवाही की अपेक्षा हो। ऐसी स्थिति में पृष्ठॉकन में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जायें कि उस कार्यालय से किस कार्यवाही की अपेक्षा है ।

(ग) प्रकरण इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे सम्बन्धित कार्यालय के संज्ञान में लाना जरूरी है ।

कृपया भविष्य में पत्राचार पृष्ठॉकित करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाय ।

23/11/17

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारीगणों को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।